बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0सं0–पि0व0 / 7 / आ०क०वि०प्र० एवं संधा०–39–14 / 2025– 488

प्रेषक,

ऋषि कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण,
सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
सभी अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
सभी प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय,
बिहार।

पटना, दिनांक– 31/07/26

विषयः– अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के कक्षा–VI, VII, VIII एवं IX में नामांकन के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–480, दिनांक–28.07.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–27 हेतु कक्षा VI से IX में नामांकन के लिए केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा आयोजित कर मेधा के आधार पर विभिन्न चयन सूची प्रकाशित करते हुए नामांकन की कार्रवाई की गई है। वर्तमान में भी क्रमवार मेधा सूची के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है एवं नामांकन हेतु अंतिम तिथि 31.07.2026 निर्धारित है।

2– उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा बार–बार मेधा सूची प्रकाशित किए जाने के बावजूद भी सीटें रिक्त रह रही हैं। अनेक चयनित छात्राओं द्वारा विद्यालय की दूरी, अन्य संस्थानों में नामांकन, व्यक्तिगत कारणों अथवा अन्य किसी कारण से संबंधित विद्यालय में नामांकन नहीं लिया गया है। साथ ही कुछ छात्राओं द्वारा किन्हीं कारणों से विद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र (SLC/TC) प्राप्त कर अन्यत्र नामांकन लेने के कारण भी अनेक रिक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं। फलस्वरूप उपलब्ध रिक्त सीटों को केवल चयन सूची के आधार पर भर पाना संभव नहीं हो पा रहा है।

3– अतः उपलब्ध रिक्त सीटों पर शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्पॉट नामांकन (Spot Admission) की व्यवस्था करने का निर्णय लेते हुए निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी की जाती है :–

(A) स्पॉट नामांकन हेतु पात्रता

(I) स्पॉट नामांकन हेतु केवल वही छात्राएँ पात्र होंगी, जिन्होंने सत्र 2026–27 के लिए विभागीय ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन किया हो एवं संबंधित प्रवेश परीक्षा में भाग लिया हो।

(II) पूर्व में किसी भी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में नामांकित छात्राएं फिर से अन्यत्र विद्यालय में स्पॉट नामांकन हेतु पात्र नहीं होगी।

(III) नामांकन हेतु दिनांक–01.04.2026 को आयु सीमा वर्ग–6 के लिए 10 से 13 वर्ष, वर्ग–7 के लिए 11 से 14 वर्ष, वर्ग–8 के लिए 12 से 15 वर्ष एवं वर्ग–9 के लिए 13 से 16 वर्ष के अंतर्गत होना अनिवार्य है।

(IV) स्पॉट नामांकन हेतु इच्छुक छात्रा बिहार की स्थायी निवासी एवं पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के सदस्य होना अनिवार्य है।

(V) छात्राओं के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रू0 तीन लाख तक हो।

(B) **नामांकन की प्रक्रिया :**

(I) प्रवेश परीक्षा में शामिल स्पॉट नामांकन हेतु इच्छुक छात्राएँ उस विद्यालय में, जहाँ रिक्त सीटें उपलब्ध है, निर्धारित अवधि के भीतर स्वयं भौतिक रूप से उपस्थित होंगी।

(II) नामांकन के समय आवश्यक दस्तावेज (प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र/पोर्टल पर उपलब्ध प्रवेश परीक्षा का प्राप्तांक/जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र/विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र S.L.C./ फोटोग्राफ) का सत्यापन अनिवार्य रूप से कर लेंगे।

(III) नामांकन हेतु आवेदिका/छात्रा की जन्म तिथि उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र (विद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र SLC/TC) में अंकित तिथि के अनुसार ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

(C) **प्रधानाध्यापक हेतु दिशा–निर्देश** :

जिन विद्यालयों में स्पॉट नामांकन हेतु रिक्त सीटें उपलब्ध हैं, संबंधित प्रधानाध्यापक निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएंगे :–

(I) नामांकन हेतु इच्छुक छात्राओं के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह विभाग द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुई थी तथा उनका नामांकन किसी भी मेधा सूची के आधार पर विभाग द्वारा संचालित किसी भी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय में नहीं हुआ है।

(II) उपर्युक्त तथ्यों का पोर्टल एवं उपलब्ध अभिलेखों से सत्यापन करने के उपरांत ही नामांकन किया जाएगा।

(III) नामांकन पहले आओ, पहले पाओ (First Come, First Served) के सिद्धांत पर उपलब्ध रिक्त सीटों के विरुद्ध किया जाएगा।

(IV) सभी आवश्यक दस्तावेज एवं आयु सीमा का सत्यापन कर नामांकन लेंगे तथा नामांकन के उपरांत प्रत्येक छात्रा का विवरण संबंधित विद्यालय के MIS पोर्टल पर उसी दिन अथवा यथाशीघ्र अद्यतन (अपलोड) करना प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होगी।

(D) **अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी–सह विद्यालय नोडल हेतु दिशा–निर्देश :**

यह सुनिश्चित करेंगे कि आवासीय विद्यालयों में स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष एवं निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप संपादित हो। इसके लिए वे संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ समन्वय स्थापित करते हुए नामांकन प्रक्रिया की सतत निगरानी करेंगे तथा स्वयं विद्यालय में उपस्थित होकर पर्यवेक्षण करेंगे, ताकि नामांकन प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता न हो तथा प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि स्पॉट नामांकन के माध्यम से नामांकित सभी छात्राओं का विवरण निर्धारित समयावधि में संबंधित विद्यालय के MIS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर दिया गया है।

(E) **जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी हेतु दिशा–निर्देश :**

अपने अधीनस्थ अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारियों को स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक आवासीय विद्यालय में स्पॉट नामांकन विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। साथ ही आवश्यकता अनुसार स्वयं भी नामांकन प्रक्रिया का निरीक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।

4– स्पॉट नामांकन की अवधि दिनांक–01.08.2026 से दिनांक 10.08.2026 तक निर्धारित की जाती है तथा उक्त अंतिम तिथि के पश्चात नामांकन प्रक्रिया स्वतः समाप्त मानी जाएगी तथा इसके बाद किसी भी प्रकार का नामांकन स्वीकार्य नहीं होगा।

अतः निदेश है उपर्युक्त दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्पॉट नामांकन के संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

अनु0–यथो0

विश्वासभाजन,

31/07/2026

(ऋषि कुमार)

निदेशक।

ज्ञापांक– पि0व0/7/आ०क०वि०प्र० एवं संधा०–39–14/2025–488 पटना, दिनांक–31/07/26

प्रतिलिपिः– तकनीकी निदेशक, NICS, Patna केन्द्र, टेक्नोलॉजी भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/07/2026

निदेशक।

ज्ञापांक– पि0व0/7/आ०क०वि०प्र० एवं संधा०–39–14/2025–488 पटना, दिनांक–31/07/26

प्रतिलिपिः–सहायक निदेशक–सह–जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/07/2026

निदेशक।

ज्ञापांक– पि0व0/7/आ०क०वि०प्र० एवं संधा०–39–14/2025–488 पटना, दिनांक–31/07/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/07/2026

निदेशक।

ज्ञापांक– पि0व0/7/आ०क०वि०प्र० एवं संधा०–39–14/2025–488 पटना, दिनांक–31/07/26

प्रतिलिपिः–माननीया मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

31/07/2026

निदेशक।